चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनाँक- 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई व थाना कार्यालय में रजिस्टरों के उचित रख-रखाव, बंदीगृह,सीसीटीएनएस कार्यालय,प्रभारी निरीक्षक कार्यालय,महिला हेल्प डेस्क एवं नवनिर्मित भवन, थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान बताया गया कि थाना परिसर, नवनिर्मित भवन की रंगाई पुताई, पंखा,कुलर,बिजली आदि की मरम्मत कराये तथा आगामी महाशिवरात्रि व अमवस्या मेले के दृष्टिगत क्षेत्र में पुलिस भ्रमण करती रहे। रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये

निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रीता सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 18.02.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामचरन पुत्र रामखेलावन निवासी उदघटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 18.02.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1051/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त भोला पुत्र मैकू निवासी खटकाना शंकर बाजार कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिव सागर दूबे मय हमराह का0 पवन यादव द्वारा मु0अ0सं0 19/25 धारा 65(1)/352/351(2) बीएनएस तथा 3 /4 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ बुआ पुत्र रामनारायण निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा अपराधिक बल प्रयोग कर गलत तरीके से बालिका को बंधक बनाकर लज्जा भंग करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1.सद्दाम उर्फ सब्बान अली पुत्र असीम मोहम्मद निवासी हिनौतामाफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

2.सद्दीक अली पुत्र छोटुवा खां निवासी कंठीपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
3.हबीब अली पुत्र शेख मोहम्मद निवासी निबुहा का पुरवा मजरा बिहारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 12.02.2025 को एक वादिया द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि हबीब नाम का व्यक्ति जो खुद को खोही चित्रकूट का रहने वाला बताया करता था से मेरी दोस्ती हुई और उसके द्वारा मुझे कोतकत्ता ले जाने की बात कही गई दिनाँक 10.02.025 को शाम के समय बस द्वारा वह कर्वी बस स्टैण्ड आयी जहाँ पर हबीब के तीन दोस्त उसे लेने के लिए आये लेने आये तीनों लोगों द्वारा अमानपुर चौराहा के पास एक मकान के कमरे में उसे बंद करके रखा और उसके साथ अश्लील हरकते की तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी पीडिता मौका पाकर वह वहाँ से भाग निकली और घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 84/2025 धारा 137(2),127(2),74,351(2) व 8 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज दिनाँक 18.02.025 को मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा मछरिहा मोड़ के पास से समय 11.40 बजे अभियुक्त 1. सद्दाम उर्फ सब्बान अली पुत्र असीम मोहम्मद निवासी हिनौतामाफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 2. सद्दीक अली पुत्र छोटुवा खां निवासी कंठीपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. हबीब अली पुत्र शेख मोहम्मद निवासी निबुहा का पुरवा मजरा बिहारा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
2.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह
3.आरक्षी अनुज
4.आरक्षी रविन्द्र कुमार